

गये—तो क्या कारण है कि जब वे रहने के काबिल नहीं थे तो कैसे मेडिकल वार्डों के रहने के काबिल हो गए ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : तीन दिन हुए यह सवाल आया था और मैंने यह अर्ज की थी कि अगर माननीय सदस्य मुझे लिखें, उसके डीटेल लिखें, तो मैं इन्क्वायरी करने के लिये तैयार हूँ । लेकिन एक चोज मैं जरूर कह दूँ, जो मौलाना आज़ाद कालिज है, जो पन्त हॉस्पिटल है, जिनका सम्बन्ध लोगों की जिन्दगी और सेहत से है उसके बारे में अगर मेरी यह कांशिश होगी कि उनके डाक्टरों और प्रोफेसर्स को मकान दे सकूँ तो मेरे लिये यह बड़ी खुशी का वाक्य होगा और मैं समझता हूँ कि मुझे करना भी चाहिये ।

ALLOTMENT OF LAND TO M.Ps. FOR CONSTRUCTION OF HOUSES

*355. SHRI ABDUL GHANI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to allot land in Delhi to those Members of Parliament who want to construct houses; and

(b) if so, what are the details of the proposal?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHAND KHANNA): (a) and (b) A request was received about a year ago from some Members of Parliament for the allotment of land in New Delhi for the setting up of a colony mainly for Parliamentarians. When I held discussions with some of the Members the position was not very clear. The matter has, therefore, not been pursued.

شہی عبدالغنی : کہا وزیر صاحب فرمائیں گے کہ کیا ایسی کوئی تجویز ان کے سامنے آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی کوآپریٹو سوسائٹی بنے ۔
تو کہا ان کو سرکار زمین دے پائے گی ۔

†[श्री अब्दुल गनी : क्या वजीर साहब फरमायेंगे कि क्या ऐसी कोई तजवीज उनके सामने आई कि पार्लियामेंट के मेम्बरान की कोऑपरेटिव सोसाइटी बने । तो क्या उन को सरकार ज़मीन दे पायेगी ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहाँ तक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का ताल्लुक है वह तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है । जनाबेवाला, मैं अर्ज कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट के जो मेम्बर साहिबान हैं उन की सेवा करूँ लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बर किमी हाउस में दो वर्ष होते हैं किमी में चार वर्ष होते हैं, आज होते हैं कल चले जाते हैं । उन का अपना "प्ल" भी है । तो अगर पार्लियामेंट के मेम्बरान चाहते हैं कि उनके लिये खास कालोनी बनाई जाय और वे सरकारी मकान नहीं लेना चाहते तो मैं यह अर्ज करूँगा कि दोनों हाउसेज की एक छोटी सी कमेटी बना दी जाय । मैं उनके साथ बैठ कर तमाम तफसील में जाने के लिये तैयार हूँ और जो भी सेवा हो सकेगी करने के लिये तैयार हूँ ।

شہی عبدالغنی : کہا وزیر صاحب فرمائیں گے کہ دونوں ہاؤسز کی کھتی جو بنائی ہے وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ وہ تو آپ کے اختیار کی چیز ہے۔
اس لئے کہا آپ ایسا مناسب نہیں

†[] Hindi transliteration.

سمجھتے کہ آپ پارلیمنٹ کے ان
ممبروں کو جو یہاں رہنا چاہتے ہیں—
کئی ممبر تو بیس بیس برس چلتے
چلے آ رہے ہیں پیارے لال کریں چہسے—
تو کیا آپ کوئی ایسی جگہ دینے کے لئے
تیار ہیں جہاں آپ ممبران کو
ایکموزیشن کر سکیں -

†[श्री अब्दुल गनी : क्या वजीर
साहब फरमायेंगे कि दोनों हाउसेज की
कमेटी जो बनाई है वह तो हमारे अख्तियार
में नहीं। वह तो आपके अख्तियार की
चीज है। इसलिए क्या आप ऐसा मुनासिब
नहीं समझते कि आप पार्लियामेंट के उन
मैम्बरों को जो यहां रहना चाहते हैं—
कई मैम्बर तो बीस बीस बरस चलते चले
आ रहे हैं, प्यारे लाल 'कुरील' जैसे—
तो क्या आप कोई ऐसी जगह देने के लिये
तैयार हैं जहां आप मैम्बरान को एकोमोडेट
कर सकें।]

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं तो यही
अर्ज करूंगा कि मेरा फर्ज है कि पार्लिया-
मेंट के मेम्बर साहबान को सरकारी तरीके
पर एकमोडेशन दूँ। आज मैं कह सकता
हूँ, ६५ फी सदी पार्लियामेंट के मेम्बर
साहबान को सरकारी तौर पर एकमोडेशन
दी जा चुकी है। करीब १४४ नए फ्लैट्स
रफी मार्ग पर बन रहे हैं और उन के लिये,
जहां तक सरकारी तौर पर जगह देने का
ताल्लुक है, कोई प्राबलम नहीं रहेगी।
बाकी जो वे चाहते हैं कि पार्लियामेन्टरियन्स
के लिए, एक्स पार्लियामेन्टरियन्स के लिए
एक अलाहिदा कानून बने, योंकि जमीन
का सवाल है, कीमत का सवाल है और
जमीन का बंदोबस्त हो सकता है, तो कोई
न कोई यादमी हो चाहे हाउस कमेटी हो,

चाहे स्पीकर साहब हों, चाहे डिपुटी
चेयरमैन हों और वे बैठ कर इस तरह की
स्कीम को बना दे और उस में मैं आगे बढने
के लिये तैयार हूँ।

श्री ए. - ایم - طارق : کیا یہ

درست ہے کہ سرکار نے پچھلے چلند سالوں
میں کمزورتلخواہ اور کم آمدنی والے
لوگوں کے کچھ رعایتیں دی ہیں۔ اس
سلسلہ میں اگر پارلیمنٹ کے ممبران
ایک گروپ ریگیمو بنا کر رعایتی قہمت پر
زمنہ کی درخواست کریں تو سرکار کا
روئے اس میں کیا ہوگا -

†[श्री ए० एम० तारिक : क्या यह
दुस्त है कि सरकार ने पिछले चन्द सालों
में कम तन्ख्वाह और कम आमदनी वाले
लोगों को कुछ रियायत दी है ? इस सिल-
सिले में अगर पार्लियामेंट के मेम्बराब एक
कोऑपरेटिव बना कर रियायती कीमत
पर जमीन की दरखास्त करें तो सरकार
का रवैया इस में क्या होगा ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मैं
समझता हूँ, मिनिस्ट्रों के लिये और पार्लिया-
मेंट के मेम्बरान के लिये रूल्स बने हुए हैं।
जो भी कोई रूल्स पार्लियामेंट बनाती है
मैं उस पर अमल करने के लिये तैयार हूँ।
आप सावरेन बाडी हैं। अगर आज यह
फैसला किया जाय कि . . .

(Interruptions)

SHRI A. M. TARIQ: Members of
Parliament . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं अभी सवाल
का जवाब मुकम्मल नहीं कर सका। अगर
आज यह सावरेन बाडी यह फैसला कर
दे कि पार्लियामेंट के मेम्बर साहबान
को . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: On a point of order. I think Members of Parliament have got no vested interests. They are just like other citizens. If they want anything either through a co-operative society or any other machinery, they should apply as citizens because Members of Parliament have got no right as Members of Parliament to get any preference over others.

श्री ए० बी० वाजपेयी : सभापति जी, हम लोगों को दिल्ली में जमीन मिले इसके हक में हम नहीं हैं और इसलिये कोई समिति बनाई जाय इसका सवाल ही पैदा नहीं होता । मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन सदस्यों की ओर से सस्ती दर पर जमीन दी जाय यह मांग की गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि कुछ लोग आप से मिले थे और वे मांग कर रहे हैं कि उनको जमीन दी जाय ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे से सस्ती जमीन किसी ने नहीं मांगी । मेरे से किसी ने रियायत नहीं मांगी । मेरे से यह कहा गया है कि अगर तुम्हारी हाउसिंग प्राबलम किसी हद तक रिजॉल्व हो सकती है और एम० पी० के लिये भी एक सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाय तो उसमें जैसे औरो को जमीन देते हो वैसे एम० पी० को भी देने के लिये तैयार हो । मैं आज भी ऐसा करने के लिये तैयार हूँ । इस में जहां तक मुझे याद है किसी पार्टी वगैरह का ताल्लूक नहीं था । एक रिप्रजेंटेशन आया था उस में बहुत से मेम्बर साहबान के दस्तखत थे । मेरे खयान में, सब तरफ से आया था ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : नहीं, नहीं हमारी तरफ से नहीं आया ।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It seems that I have not been able to convince Members that I try to accommodate as far as possible. Why should they shout?

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, the position should be made absolutely clear as to why it is at all necessary for Members of Parliament who are given accommodation here, who come from distant parts of the country and for a limited period, to ask for land at concessional rates when local residents and others are not getting it. Do I have an assurance from the Government that no such advantageous accommodation shall be made available to Members of Parliament except in respect of those who are residents of Delhi or have bona fide reasons to live here? Therefore, the question of such a committee does not arise. Therefore, I should like to have a clear assurance from the Government that just because the housing problem is difficult, he will not allow Members of Parliament coming from all parts of the country—some of them, not all—to take advantage of the situation in order to secure land for themselves at concessional rate and build houses here.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: As has been stated by Shri Akbar Ali Khan, a Member of Parliament is as good a citizen as anybody else. He has as good a charge on the Housing Minister as any other citizen. And if a request is made on the same lines like any other co-operative society, it will be looked into. But nowhere, as far as I can remember, have I said—and I can categorically say—that any concession was required in the matter of allocation of land or the purchase of land or the sale of land.

जाँटे - में (मिशन) रिजल्ट्स पर
 भेजे जाने के लिये तैयार हों - ये, मेबर
 बनाये भी एक सहायी जसके है -
 एक दफे जो सहायत में कस कहा
 अस का मेर कूँ नये अमदनी नहें दे
 जाना - में चाहता हों - हमार के लिये
 कूँ अन्तर्गत कहा जाँटे -

†[श्री प्यारेलाल कुरील "तालिब" .
 मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उन से कहा है या
 तो मेरे लिये कोई जमाना दी जाये, मैं रीजनेविल
 रेट्स पर पैसा देने के लिए तैयार हूँ। यह
 मेम्बर बनना भी एक सियासी चक्का है।
 एक दफा जो सियासत में घुस गया उसका
 फिर कोई जरिया आमदनी नहीं रह जाता।
 मैं चाहता हूँ हमारे लिये कोई इन्तजाम
 किया जाये।]

श्री सभापति कुरील साहब, कुछ
 और फर्माना है तो फर्मा लीजिए।

श्री प्यारेलाल कुरील "तालिब" :

नहें जी - रियायत है आप की -

†[श्री प्यारेलाल कुरील "तालिब"
 नहीं जी। मेहरबानी है आपकी।]

श्री संघद अहमद मैं वजीर साहब से
 एक सवाल करना चाहता हूँ और वह यह
 है कि रफी मार्ग में पालियामेंट मेम्बरान
 के लिए जा मकानात बनाए जा रहे हैं प्लेट्स
 बनाए जा रहे हैं, उनके बनने के बाद क्या
 हम लोगो को वेस्टर्न कर्ट छोड़ देना पड़ेगा

श्री मेहर चन्द खन्ना अभी तो यह
 सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन थोड़े दिन
 हुए मैं स्पीकर साहब का वहाँ पर ले गया था
 और जो प्लेट्स पालियामेंट के मेम्बरान
 के लिए बन रहे हैं उन्हें दिखाया। मैंने उन्हें

वहाँ पर क्लब, ऑडिटोरियम और जा
 फर्नीचर हम पालियामेंट के मेम्बरों को
 देने वाले हैं वह भी दिखाया। मैंने स्पीकर
 साहब का एक चिट्ठी लिखी है और जिस की
 नकल जनाबवाला को भी भेजी है कि अन-
 करिय एक मीटिंग हो जाय जिसमें यह तय
 हो जाय कि कौन कान में एकोमोडेशन
 पालियामेंट के मेम्बरों के लिए रखी जाय
 और कौन सी एकोमोडेशन रीलज कर दी
 जाय ताकि उसको जनरल पूल में रख दिया
 जाय। यह चीज आपकी और स्पीकर साहब की
 मेहरबानी में तय हो जायेगी कि कौन कौन
 सी एकोमोडेशन पालियामेंट के मेम्बरों के
 लिये रखी जाय ताकि जो एकोमोडेशन बच
 जाय फिर हम दूसरे लोगों को दे सकें।

श्री अब्दुल गनी : क्या वजीर साहब

बतलायेंगे कि कौन-कौन-सी जमीन को
 कुछ हजार बीघे जमीन जमेल करनजा
 में कुछ लोको को दे दे सकें -
 जिस में लोको को दे दे सकें -
 के मकानात को दे दे सकें -
 जमीन के और जो अन्तर्गत और आपस में
 मल को दे दे सकें -
 वजीर साहब ये मसाले नहें सहेते
 कि ऐसे लोको को जो जमीन दे
 दे सकें -
 लोको को दे दे सकें -
 ही जाँटे ताकि वे डान्नी طور पर
 खानदान की خدمत कर सकें -

†[श्री अब्दुल गनी क्या वजीर साहब
 बतलायेंगे कि कोआपरेटिव डेरी के नाम पर
 कुछ हजार बाघा जमीन झील कुरंजा में
 कुछ लोगो को दे रखी है जिसमें उन लोगो ने
 लाखों रुपये के मकानात खड़े कर दिये हैं]

बजाय डेरी के । और जो आने-स्टली और आपस में मिल कर रहना चाहते हैं क्या उनके लिये वजॉर साहब यह मुनासिब नहीं समझते कि ऐसे बोंगस लोगों को जो जमीन दे रखी है और कांप्रेसियां ने ले रखी है उनसे छीन कर अच्छे आर्दाभियों को दे दी जाये ताकि वह जाती तौर पर अपने खान्दान की खिदमत कर सकें ।]

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक डेरी का ताल्लुक है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि यह जमीन मैंने दी है या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है या डी० डी० ए० वालों ने दी है । लेकिन जहां तक पार्लियामेंट के मेम्बरान का ताल्लुक है मैं पहले भी तैयार था और आज भी तैयार हूं कि कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जाय जिससे देश या टैंक्स पेत्रर के ऊपर इसका बोझ न पड़े और जमीन भी मिल सके ।

SHRI M. R. SHERVANI: May I know, Sir, if a Member has been here for a couple of years and hopes to be here for another fifteen or twenty years, if he applies on individual basis to the Housing Ministry for a small plot, will it be considered favourably?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: A Member of Parliament is a charge on the Housing Committee of both the Houses of Parliament. The Minister for Housing has no right to allot a house to a Member of Parliament, he does so on the recommendations of the House Committee.

SHRI M. R. SHERVANI: I want land.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: I am coming to that because you kindly wrote to me the other day. You wanted and I told you that you have to approach the Chairman of the Housing Committee of the Rajya Sabha. As far as the question of land is concerned, lands are available in Delhi, lands are being sold every day

in Delhi. There are plots which are available with the Delhi Administration. I do not think there should be any difficulty and if a Member of Parliament wants his case to be sponsored to the Delhi Administration, I shall be too happy to do so.

DEMOLITION OF JHUGGIS AND JHONPARIS OF BHOOLI BHATIARI KA JUNGLE

*356. SHRI B. K. GAIKWAD: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Jhuggis and Jhonparis of the people belonging to the Scheduled Castes at Bhooli Bhatiari Ka Jungle, Panchkium Road, New Delhi were demolished by the special staff of Delhi Administration at mid-night and during rains on 7th July, 1964; and

(b) since when these people were residing there?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI MEHR CHAND KHANNA): (a) No huts were demolished at mid-night on the 7th July, 1964. The demolition operations were carried out during day time on various dates in June, July and August 1964, as unauthorised huts were put up again and again by certain squatters.

(b) These squatters put up unauthorised huts for the first time in the third week of June, 1964.

SHRI B. K. GAIKWAD: My question is since when these hutment dwellers are residing on those sites? He says 3rd June 1964. You will find that the huts are there for years together.

SHRI MEHR CHAND KHANNA: No, not in this case.